डा॰ मुरली मनोहर जोशी: यह बात समझने की है ...(व्यवधान)...

श्री कमल नाथ: सर, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जवाब पर तीन अलग-अलग भाग एक हो गए। सर, जो सावधानी है, वही कारण है कि पिछले दो साल में कोई समझौता नहीं हुआ है। हमारी पार्टी में इस पर चर्चा हुई है और माननीय सदस्य अगर इसका जिक्र करें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इसमें कुछ सुझाव दिए हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष समय-समय पर बहुत सारे अच्छे सुझाव हमें देती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परन्तु पिछले दो साल से इस पर चर्चा - कई दफा मैंने भी कई फोरम में आसियान के देशों से चर्चा की है, इस महीने के आखिर में भी आसियान से चर्चा है और इसमें पूरी सावधानी बरती जाएगी तथा जो शक और संकोच माननीय सदस्य का है, वह पूरी तरह ध्यान में रखा जाएगा।

Ban on SIMI

*145. SHRI S.S. AHLUWALIA:††
SHRI MANGANI LAL MANDAL.

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a ban has been imposed on the Students Islamic Movement of India (SIMI) as unlawful organization;

(b) if so, the details thereof, including the year-wise details of the number of its activists taken into custody, prosecuted, convicted and/or acquitted since imposition of the ban;

(c) whether, despite the ban the activists of SIMI have been allowed to carry on its activities in various States;

(d) if so, the details thereof;

(e) the details as to the nature of alert, if any, decimated from intelligence agencies about involvement of SIMI activists in perpetration of unlawful acts; and

(f) the action taken in the light thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) State Governments and NCT of Delhi have indicated that 179 cases registered against the SIMI are at different stages in the Courts.

(c) and (d) No, Sir. However, their clandestine activities are continuing.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri S.S. Ahluwalia.

(e) and (f) The activities of SIMI are under constant watch of law enforcement agencies.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले यही सवाल गृह मंत्री महोदय से सदन में सीधा किया गया था कि सिमी एक banned ऑरग्नाइजेशन है या नहीं। तब वे बताने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। पर आज सीधा जवाब दे दिया है-''यस, सर'' है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 12 मई, 2002. पटना जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस जौनपुर के पास डीरेल हो गयी थी। उसकी जो शुरुआती इन्क्वायरी हुई थी, उसमें कहा गया था कि यह सिमी की कार्यवाही है। उसके बाद 28 जुलाई को कोसी श्रमजीवी एक्सप्रेस में, जौनपुर में बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें 9 आदमी मारे गए और करीब 50 घायल हो गए। उसकी भी प्राथमिक इन्क्वायरी जो की गयी, उसमें कहा गया कि इसमें सिमी इनवॉल्व्ड है। जब रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिस देकर पूछा था कि कोई आई विटनेस हैं, तब वहां इतना आतंक है कि कोई भी आदमी सिमी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज आपकी कार्यवाही क्या कहती है कि ये दोनों घटनाएं जो हैं, और इसके अलावा बाकी जो घटनाएं हैं, जब ये बैन हुई थी, उस वक्त की घटनाएं और आज के दिन में इनकी जो घटनाएं हैं, उस पर कितनी नजर आप रखे हुए हैं और उसकी डिग्री कितनी बढ़ रही है, क्या आप वह सदन को बताने की कृपा करेंगे?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन्, एक बात हमें सदन में ध्यान में रखनी चाहिए और वह यह है कि कहीं हादसा हो जाता है तो उसकी इन्क्वायरी स्टेट की पुलिस करती है तथा स्टेट की कोर्ट में वह केस ले जाया जाता है। वहां से जो भी निर्णय आता है, उसके ऊपर अमल किया जाता है। हमारे पास मुश्किल यह हो रही है कि हमारे कांस्टीट्यूशन के मुताबिक जो तीन लिस्ट्स हैं, उनमें से स्टेट लिस्ट के अंदर साफ तौर से कहा गया है कि law and order is the primary responsibility of the State Government. (*Interruptions*)

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, दोनों में रेलवे की इन्क्वायरी हुई है। ...(व्यवधान)... रेलवे की इन्क्वायरी हुई है। गोधरा में बैनर्जी कमीशन कैसे बना? ...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: अगर सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट की तरंफ से इन्क्वायरी करने के लिए कहा जाए या कोर्ट ने करने के लिए कहा हो तो वह इनवेस्टीगेशन सीबीआइ करती है। हमारी जो पुलिस है, पैरा मिलिटरी फोर्सेज हैं, वे बॉर्डर की रक्षा करती हैं। यहां पर जो आतंक होता है, उसमें लोगों की मदद करती हैं. मगर खुद जाकर वे इनेवेस्टिगेट नहीं कर सकती हैं। इसके मालूमात स्टेट गवर्नमेंट्स से लेने के बजाय, मैं बोल नहीं सकता हूं और हमारा कानून भी ऐसा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर में उठाया जाता है, स्टेट लिस्ट में है, वह स्टेट में पूछना चाहिए, मगर यहां उठाया जाता है, तो उसका पूरी तरह से संदर्भ नहीं है, ऐसा बोलना भी गलत होता है, इसलिए हम जवाब जरूर देते हैं, मगर हर चीज के मालूमात हमारे पास नहीं हैं और आपने जो प्रश्न यहां पर किए हैं, वे specific प्रश्न हैं और ये प्रश्न SIMI के संदर्भ में हैं। आपका प्रश्न एक केस के संबंध में है, इसके मालूमात लिए बगैर मेरे लिए बोलना मुश्किल है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, गृह मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों घटनाएं, जिनका मैंने उल्लेख किया है, ये दोनों घटनाएं रेलवे की घटनाएं हैं। एक स्टेशन पर हुई और एक रेलवे ट्रैक पर हुई। अगर आप कहते हैं कि इसकी इन्क्वायरी भी रेलवे ने नहीं की और केन्द्र सरकार को नहीं पता है, तो आपको गोधरा की घटना का जी॰सी॰ बैनर्जी के माध्यम से कैसे पता लगा? इसका मतलब रेलवे का इनक्वायरी कमीशन आप वहीं इनवोग करते हैं, जहां आपका इंटरेस्ट होता है। जहां आपका इंटरेस्ट इनवॉल्व नहीं है, वहां आप नहीं करते हैं। रेलवे स्टेशन पर मारे गए लोगों की इनक्वायरी प्राइमरी तौर पर रेलवे करेगा और उसके बाद स्टेट लॉ और उसके बाद यह सेंटर का सब्जेक्ट है और सेंटर को इसका जवाब देना चाहिए।

महोदय, इसके बाद मैंने SIMI का एक सवाल किया, मैंने पूछा-

"Whether, despite the ban, the activists of SIMI have been allowed to carry on its activities in various States." उसका जवाब आया-"No, Sir. However, their clandestine activities are continuing." मेरा कहना है कि clandestine activities के बारे में क्या आपको पता है कि SIMI ने भारत के विभिन्न प्रांतों में शिक्षण संस्थान शुरू करने का काम शुरू किया है और उसमें एक शिक्षण संस्थान ''जौहर अरबी फारसी विश्वविद्यालय'' रामपुर में शुरू करने की कोशिश की, जिसका विरोध बार-बार ...(**व्यवधान**)..

श्री कमाल अख्तर: अभी शुरू नहीं हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मैंने कहा है, शुरू नहीं हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: गवर्नमेंट जवाब दे देगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मैं कह रहा हूं कि शुरू करने की कोशिश की। ...(**व्यवधान**)...

श्री अबू आसिम आज़मी: आप गलत कह रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

†[**شری ابو عاصم اعظمی** : آپ غلط کہہ رہے ہیں ـــمداخلت]

श्री वीरेन्द्र भाटिया: आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

कुछ माननीय सदस्य: यह* है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आप सदन में आने से पहले ज़रा पार्लियामेंटरी डिक्शनरी पढ़ लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा।

श्री सभापति: *शब्द अनपार्लियामेंटरी है, इसको प्रोसीडिंग से हटा दीजिए।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: ये क्या कह रहे हैं सर, ज़रा देखिए।

श्री सभापति: वह हटा दिया है।

---

†Transliteration in Urdu Script.
*Expunged as ordered by the Chair.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सर, मेरा कहना है कि ''जौहर अरबी फारसी विश्वविद्यालय, रामपुर'' के बारे में उत्तर प्रदेश के गवर्नर अब गृह मंत्री जी कहेंगे कि राज्यपाल की खबर मुझे नहीं है, जबकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्य में और उस राजयपाल ने बार-बार उनके आवेदन को वापस कर दिया, यह कहते हुए कि संकट है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अबू आसिम आज़मी: बिलकुल गलत तथ्य कह रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

†[**شری ابو عاصم اعظمی :** بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں ---مداخلت---]

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि जो इन clandestine activities में शिक्षण संस्थान को ला रहे हैं, उसके बारे में आपने कोई इनक्वायरी की है? ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: राज्यपाल ने दस्तखत कर दिए हैं अहलुवालिया जी।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: बार-बार रोकने के बाद, आप लोगों के कहने के बाद ...(**व्यवधान**)... आप लोगों के कहने के बाद ...(**व्यवधान**)... हां, तो ठुकराया क्यों उसको? ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: मेरी बात सुनिए ...(**व्यवधान**)... कई बिल राज्यपाल जी ने रोक दिए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: अमर सिंह जी, जब आप मंत्री बन जाएंगे, तब आपसे बात करूंगा, अभी तो उनसे कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: महोदय, यह उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कई बिलों को बार-बार रोका है। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: हां, ठीक है, पता लगेगा।

श्री शिवराज वी॰ पाटील: श्रीमन्, अगर मैं कहूं कि लॉ एंड ऑडर प्राइमरिली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और कंस्टीट्यूशन की स्टेट लिस्ट में लिखा है, तो यह तो हाऊस को मिसलीडिंग करना नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इस सदन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनको पूरे कानून के दायरे में, रूल के दायरे में रखकर ही हमको बात करनी चाहिए। जो भी राज्यपाल करते है या जो लैटर्स लिखे जाते हैं राज्यपाल को या राज्यपाल से चीफ मिनिस्टर को, वे सारे प्रिविलेज हैं। उनके बारे में मेरे पास मालूमात भी हों और अगर मैं बताने के लिए खड़ा भी हो गया, तो मुझे बताया जाएगा कि आप नहीं बता सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: Clandestine activities में शिक्षण संस्थान हैं क्या?

---

†[]Transliteration in Urdu Script.

श्री शिवराज वी॰ पाटील: और दूसरा जो सवाल स्कूल के संबंध में किया गया है...अब यह सवाल भी ऐसा ही है। मैं बड़ी नम्रता से यह भी बताना चाहूंगा कि जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है, उसकी एक फोर्स है। वह फोर्स उसकी प्रोपर्टी की रक्षा करने का काम करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेज हैं, वे स्टेशन की रक्षा करने का काम और पैसन्जर्स की रक्षा करने का काम करती हैं। जो भी हादसे होते हैं, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, उनका इंवेस्टिगेशन स्टेट पुलिस ही करती है और रेलवे पुलिस नहीं करती है। रेलवे पुलिस को यह अधिकार देने के लिए कानून लाना चाहिए। पहले आपने भी सदन में ऐसा बताया है और अब भी बताया जा रहा है, मगर यह बात वह नहीं हैं केस का इंवेस्टिगेशन रेलवे पुलिस के अधिकार में नहीं है, वह स्टेट पुलिस के ही अधिकार में है, हमें यह जानना जरूरी है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Slow industrial growth

*142. SHRI RAJKUMAR DHOOT: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the slow down in manufacturing, power and mining sectors has pulled down industrial growth;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) the steps taken to boost these sectors, for better industrial growth?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) The industrial sector consisting of manufacturing, power and mining sub sectors, has in the last few years recorded a healthy growth. The growth rates as per the Index of Industrial Production (IIP) released by the Central Statistical Organisation (CSO) are indicated below:

Growth rate (in %)

Period	Overall industrial sector	Manufacturing	Electricity	Mining & Quarrying
2003-04	7.0	7.4	5.1	5.2
2004-05	8.4	9.2	5.2	4.4
2005-06	8.1	9.1	5.2	0.9
2006-07 (April-May)	9.8	10.9	5.3	3.2

Source: Central Statistical Organisation